न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 12/2012

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
शिवनाथसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत निवासी धान्ता तहसील व जिला सिरोही		जबरसिंह पुत्र अचलसिंह के का0मु0
	1	एवनकुंवर पत्नी जबरसिंह
	2	विक्रमसिंह पुत्र जबरसिंह
	3	मनोहरसिंह पुत्र जबरसिंह
	4	प्रवीणसिंह पुत्र जबरसिंह जातिगण राजपूत निवासी गण धान्ता तहसल व जिला सिरोही
	5	राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सिरोही
	6	पटवारी हल्का धान्ता

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री नगेन्द्र मेडतीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री अश्विन मरड़िया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4
सरकारी पैरोकार रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 5.4.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 182/2002 बअनवान शिवनाथसिंह बनाम जबरसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2011 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

यदि कोई विधि के विपरित कार्य हुआ है, तो उसे किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है तथा अनुतोष प्राप्ति हेतु चाराजोही की जा सकती है। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा बतौर वादी एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान् काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर स्वयं को धनसिंह का गोदीपुत्र होना बताते हुए जैर अपील वादस्थ भूमि में अपने हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषित कराने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए कुल 5 तनकीयात कायम की, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा तनकीयात संशोधित कराने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 14 नियम 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 08.11.2005 को आदेश पारित करते हुए तनकी संख्या 6 विरचित की गई। इसके पश्चात दिनांक 23.08.2011 को तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट/वादी का वाद खारिज किया गया तथा वाद को खारिज करने का जो आधार दर्शाया गया, वह इस प्रकार है – "हिन्दु माईनरिटी एण्ड गार्जियनशीप एक्ट 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवयस्क की अचल सम्पति न्यायालय की आज्ञज्ञ के बिना स्थानान्तरित नहीं हो सकती है एवं वादी द्वारा वाद पत्र के साथ, उसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है, वह पेश नही किया गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी खारिज किया जाता है।" इस सम्बन्ध में पत्रावली पर जो दस्तावेज उपलब्ध है, उनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 537 व 562/1 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा की भूमि श्रीशंकरसिद्धनाथ जी महादेव के नाम घोषित कराने का अनुतोष चाहा। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को वादी एवं शेष प्रतिवादीगण द्वारा नकारा गया है, जबकि ग्राम धान्ता की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2013 से 2032 के खाता संख्या 142 के अनुसार अन्य भूमियों के साथ साथ खसरा नम्बर 537 व 562 की भूमि श्री शंकरसिद्धनाथजी महादेव विराजमान पहाडी रूपावा सा0 देह देवस्थान के नाम बतौर भोक्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इस कारण यह प्रमाणित तथ्य है कि उक्त भूमि श्रीशंकरसिद्धनाथ महादेव की भूमि थी तथा मन्दिर की भूमि होने के कारण उसके खातेदारी अधिकार दिये जाना विधि विरूद्ध है। इस कारण उक्त खसरा नम्बरान् की हद तक वाद खारिज किया जाकर भूमि को मन्दिर के नाम दर्ज कराने की कार्यवाही हेतु जो आदेश पारित किया गया, विधि सम्मत है। चूंकि प्रकरण में उक्त भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

के खातेदारी अधिकार दिया जाना विधि विरूद्ध था, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये वाद को खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 182/2002 बअनवान शिवनाथसिंह बनाम जबरसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2011 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.4.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही